जनपद – संतकबीरनगर

प्रेस नोट

दिनाँक 22.08.2025

थाना महुली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 520 ग्राम अवैध गाँजा, 01 अदद मोटर साईकिल के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय*** के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष महुली *श्री रजनीश राय* के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व भ्रमण क्षेत्र के दौरान अभियुक्त कुन्दन राज पुत्र दिनेश चन्द्र साकिन खेड़ा विजयपुर थाना हरपुर बुदहट जनपद गोरखपुर को दिनाँक 21.08.2025 को मुरादपुर मोड के पास से कुल 520 ग्राम अवैध गाँजा, 01 अदद मोटर साईकिल के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों-निर्देशों का अक्षरः पालन करते हुए गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

कुन्दन राज पुत्र दिनेश चन्द्र साकिन खेड़ा विजयपुर थाना हरपुर बुदहट जनपद गोरखपुर ।

***पंजीकृत अभियोग**–* मु0अ0सं0 305/2025 धारा 8/20 NDPS एक्ट थाना महुली जनपद संतकबीर नगर ।

बरामदगी-

1. कुल 520 ग्राम अवैध गाँजा।
2. 01 अदद मोटर साईकिल ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल- उ0नि0 श्री अरविन्द सिंह, का0 अरविन्द यादव, का0अभिषेक सिंह, का0 विजय गौतम, का0 अजीत गुप्ता ।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 03 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 267 वाहनों से 286,500रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 22.08.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 267 वाहनों से 286,500रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, अपहृता बरामद

जनपद में ***मिशन शक्ति अभियान*** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्वदवन सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना बखिरा पुलिस*** द्वारा मु0अ0सं0 305/2025 धारा 137(2)/65(1)/87 बीएनएस 5L/6 पाक्सो एक्ट थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता जयकरन उर्फ सन्नू पुत्र कृष्णचन्द साहनी निवासी झुंगिया थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को झुंगिया मोड़ के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनाँक 12.08.2025 को थाना बखिरा पर वादिनी की नाबालिग पुत्री को उपरोक्त अभियुक्त द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना बखिरा पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 22.08.2025 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया तथा अपहृता को बरामद किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण – उ0नि0 श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह, का0 प्रवेश यादव, का0 रामाशीष चौहान।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मारपीट के मामले में 02 अभियुक्तगण को 06-06 माह के सदाचरण एवं परिवीक्षा बनाये रखने हेतु 25-25 हजार रु0 के निजी बन्धपत्र व समान राशि के 02-02 प्रतिभू तथा 6000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे *ऑपरेशन कनविक्शन अभियान* के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 22.08.2025 को *माननीय न्यायालय सिविल जज(सी0डी0)/ए0सी0जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर* के द्वारा 02 अभियुक्तगण को 06-06 माह के सदाचरण एवं परिवीक्षा बनाये रखने हेतु 25-25 हजार रु0 के निजी बन्धपत्र व समान राशि के 02-02 प्रतिभू तथा 6000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरणः-

मु0अ0सं0 64/2003 धारा 147/323/325/504/506 भा0द0वि0 थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्तगण 01. प्रदीप पुत्र संतराम निवासीगण जोगीडिहा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर 02. अशोक पुत्र दयाराम निवासीगण काँटा मान सिंह थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को मुकदमा उपरोक्त में 06-06 माह के सदाचरण एवं परिवीक्षा बनाये रखने हेतु 25-25 हजार रु0 के निजी बन्धपत्र व समान राशि के 02-02 प्रतिभू तथा 6000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।